

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-30012026-269664
SG-DL-E-30012026-269664असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 03]	दिल्ली बृहस्पतिवार, जनवरी 22, 2026/माघ 2, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 430
No. 03]	DELHI, THURSDAY, JANUARY 22, 2026/MAGHA 2, 1947	[N. C. T. D. No. 430

भाग II—I
PART II—Iराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 22 जनवरी, 2026

सं. 03/नियम/डी.एच.सी.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 215 सहपठित न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 23 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों तथा अन्य सभी आनुषंगिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं दिल्ली उच्च न्यायालय तथा इसके अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना हेतु कार्यवाहियों को विनियमित करने के लिए, दिल्ली उच्च न्यायालय, न्यायालय अवमानना (दिल्ली उच्च न्यायालय) नियम, 2025 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है :-

न्यायालय अवमानना (दिल्ली उच्च न्यायालय) नियम, 2025 के नियम 9(1) के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा :-

बशर्ते कि किसी लंबित मामले से उद्भूत सिविल अवमानना याचिका, समावेदन अथवा संदर्भ को उस न्यायपीठ के समक्ष, जहां वह मामला लंबित है, सूचीबद्ध किया जाएगा।

नोट: यह संशोधन राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

न्यायालय के आदेशानुसार,
अरुण भारद्वाज, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI**NOTIFICATION**

Delhi, the 22nd January, 2026

No. 03/Rules/DHC.—In exercise of the powers conferred under Article 215 of the Constitution of India read with Section 23 of the Contempt of Courts Act, 1971 and all other incidental powers and to regulate proceedings for contempt of the High Court of Delhi and the Courts subordinate to it, the High Court of Delhi hereby makes the following amendment in the Contempt of Courts (Delhi High Court) Rules, 2025:-

The following proviso shall be added after Rule 9(1) of the Contempt of Courts (Delhi High Court) Rules, 2025:-

Provided that a civil contempt petition, motion or reference arising out of a pending matter shall be listed before the Bench where the matter is pending.

NOTE: This Amendment Shall Come Into Force From The Date Of Its Publication In The Gazette.

By Order of this Court

ARUN BHARDWAJ, Registrar General